



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032020-218672  
CG-DL-E-14032020-218672

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 950]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13 2020/फाल्गुन 23, 1941

No. 950]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1057(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है कि एक अनिवासी जो पात्र विदेशी निवेशक है, जोकि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के परिपत्र आईएमडी/एचओ/एफपीआईसी/सीआईआर/पी/2017/003 दिनांक 04 जनवरी, 2017 के अनुसार कार्य करता है, को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर जहां ऐसे संव्यवहार के लिए प्रतिफल विदेशी मुद्रा में संदत्त किया जाता है अथवा संदेय होता है, किए गए प्रतिभूति में संव्यवहार के प्रयोजनार्थ हेतु विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के रूप में माना जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु-

- (क) “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र” का अर्थ वही होगा जोकि, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में निर्दिष्ट किया गया है।
- (ख) “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” का वही अर्थ होगा जोकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 के खंड (5) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) में निर्दिष्ट किया गया है।

- (ग) अभिव्यक्ति “प्रतिभूति” का वही अर्थ होगा जोकि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट किया गया है।

[अधिसूचना सं. 17/2020 /फा. सं. 173/10/2014-आईटीए-1]

गुलज़ार अहमद वानी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2020

**S.O. 1057(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of the Explanation to section 115 AD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies that a non-resident being an Eligible Foreign Investor which operates in accordance with the Securities and Exchange Board of India, circular IMD/HO/FPIC/CIR/P/2017/003 dated 04<sup>th</sup> January, 2017, shall be deemed as Foreign Institutional Investor (FII) for the purposes of transactions in securities made on a recognised stock exchange located in any International Financial Services Centre (IFSC), where the consideration for such transaction is paid or payable in foreign currency.

**Explanation.** - for the purpose of this notification, -

- (a) “International Financial Services Centre” shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);
- (b) “recognised stock exchange” shall have the same meaning as assigned to it in clause (ii) of Explanation 1 to clause (5) of section 43 of the Income-tax Act, 1961;
- (c) the expression “securities” shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956)

[Notification No. 17/2020/ F. No. 173/10/2014-ITA-I]

GULZAR AHMAD WANI, Under Secy.